भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न् संख्याथ:587

(दिनांक 20.07.2017 को उत्तसर के लिए)

सेवानिवृत्त और नियुक्त हुए कर्मचारी

587. श्री नारायण लाल पंचारिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार के सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों का वर्ग-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सेवानिवृत्ति आदि के कारण उक्त अवधि में रिक्त हुए पदों पर नियुक्त कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान अनिवार्यतः सेवानिवृत्त किए गए कर्मचारियों का वर्ग-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार में रिक्त पदों के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क): विगत तीन वर्षों के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में केन्द्रीय रूप से किसी आंकड़े का रख-रखाव नहीं किया गया है।

(ख): सेवानिवृत्ति, मृत्यु और पदोन्नति आदि के कारण होने वाली रिक्तियों को पद संबंधी भर्ती नियमों के प्रावधानों का पालन करके भरा जाना अपेक्षित होता है। विगत तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा की गई सीधी भर्तियों की संख्या नीचे दी गई तालिका के अनुसार हैः

वर्ष	**संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा संस्तुत उम्मीदवारों की संख्या**		**कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा संस्तुत उम्मीदवारों की संख्या**	
	परीक्षा द्वारा भर्ती	**चयन द्वारा सीधी भर्ती**	**अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा**	**चयन पद**
2014-15	5969	2303	57542	524
2015-16	5659	1207	24604	534
2016-17	4612	1123	68496	384

(ग): विगत तीन वर्षों के दौरान अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 के नियम 16(3) के संबंध में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) से संबंधित समयपूर्व सेवानिवृत्ति संबंधी ऐसी जानकारी जो शास्ति के रूप में नहीं है, निम्नानुसार हैः

वर्ष	**संख्या**
2014	शून्य
2015	शून्य
2016	1

अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के संबंध में विभागीय कार्रवाई के पूरा होने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति वर्ष 2015 में केवल एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी के विरुद्ध लगायी गई है। केन्द्रीय सेवाओं के संबंध में, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरणों द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी के अनुसार, एफआर 56(जे)/समान प्रावधानों के अंतर्गत मई, 2017 तक 30 समूह 'क' अधिकारियों और 103 समूह 'ख' अधिकारियों के मामले में इन प्रावधानों को लगाया गया है/सिफारिश की गई है।

(घ): व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की वेतन अनुसंधान इकाई द्वारा प्रकाशित केन्द्रीय सरकार सिविल कर्मचारी वेतन एवं भत्ते संबंधी वर्ष 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 01.03.2015 तक की स्थिति अनुसार, कर्मचारियों की 36,49,468 कुल अनुमोदित संख्या में से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में रिक्त पदों की संख्या 4,20,547 है।

*****